सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारीः अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0

प्रकरण सं0 51/2013

1.राजेंद्र कुमार जैन पुत्र स्व0 जिनेंद्र कुमार उम्र 57 वर्ष
2.अशोक कुमार जैन पुत्र स्व0 जिनेंद्र कुमार उम्र 52 वर्ष
3.पुनीत कुमार जैन पुत्र स्व0 जिनेंद्र कुमार उम्र 44 वर्ष
समस्त जाति जैन निवासी जे0के0 कॉलोनी, रोडवेज बस स्टेण्ड के सामने, आगरा रोड, दौसा जिला दौसा राजस्थान .. अपी0

बनाम

1. नगर परिषद, दौसा जरिये आयुक्त, नगर परिषद, दौसा
2. प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद दौसा जिला दौसा ..रेस्पो0

अपील विरुद्ध आदेश प्राधिकृत अधिकारी आयुक्त,
नगर परिषद, दौसा दिनांक 22.01.2013

उपस्थिति–1. श्री गौरव जैन अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अब्दुल मजीद खॉ अधिवक्ता रेस्पो0

<u>निर्णय</u> दिनांकः 29.01.2019

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि नगर परिषद, दौसा द्वारा दिनांक 22.01.2013 को प्रशासन शहरों के संग अभियान में दौसा शहर में स्थित भूमि खसरा नंबर 1424/1 रकबा 5 ऐयर, 1425/3 रकबा 2 ऐयर 1425/4 रकबा 5 ऐयर कुल रकबा 0.12 है0 का राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 90 (क) के तहत कार्यवाही करते हुए गै0मु0 आबादी नगर परिषद दौसा के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दी गई। इसी आदेश से असंन्तुट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मँगवाई गई। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष की बहस मे दलील है कि वाके ग्राम कस्बा दौसा स्थित भूमि खसरा नंबर 1424/1 रकबा 5 ऐयर, 1425/3 रकबा 2 ऐयर 1425/4 रकबा 5ऐयर कुल रकबा 0.12 है0 नगर परिषद, दौसा द्वारा दिनांक 22.01.2013 को प्रशासन शहरों के संग अभियान में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 90 (क) के तहत कार्यवाही करते हुए गै0मु0 आबादी नगर परिषद दौसा के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दी गई। नगर परिषद, दौसा द्वारा उक्त सभी कार्यवाही में नियमों के अंतर्गत अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया गया, जब कि कानूनन अपीलांट को नोटिस

प्रदत्त किया जाना आवश्यक था। इस प्रकार सारी कार्यवाही इकतरफा व बिना मौका देखे तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट लिए बिना ही 90 ए के क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर की गई है। जबकि मौके पर अपीलांट की भूमि कृषि प्रयोजनाथ व पडत है, जिसमें कोई निर्माण नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.01.2013 निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 पक्ष की बहस में दलील है कि वाके ग्राम कस्बा दौसा स्थित भूमि खसरा नंबर 1424/1 रकबा 5 ऐयर, 1425/3 रकबा 2 ऐयर 1425/4 रकबा 5ऐयर कुल रकबा 0.12 है0 नगर परिषद, दौसा द्वारा दिनांक 22.01.2013 को प्रशासन शहरों के संग अभियान में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 90 (क) के तहत कार्यवाही की गई है। भूमि गै0मु0 आबादी नगर परिषद दौसा के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। रेस्पो0 द्वारा अपीलांट द्वारा की गई आपत्ति के संबंध में तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की जावें तो कोई आपत्ति नहीं होना वरवक्त बहस बताया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व तहसीलदार, दौसा की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि नगर परिषद, दौसा द्वारा राजस्व ग्राम दौसा खुर्द व दौसा कलॉ के खसरा नम्बरान के संबंध में हितधारी/अधिकार रखने वाले व्यक्तियों के लिए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 90 की उप धारा (8) के अधीन पर्यवसित किये जाने के लिए दिनांक 02.01.2013 को लोक सूचना जारी की गई। साथ ही राजस्थान पत्रिका, दैनिक नवज्योति को विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए प्रति दी गई तथा तहसीलदार दौसा को जॉच करने के पश्चात अपनी सहमति/आक्षेप पेश करने हेतु भी प्रति पृष्ठांकित की गई। जिसके संदर्भ में राजस्थान पत्रिका के अंक दिनांक 04.01.2013 में उक्त लोक सूचना को विज्ञपित किया गया जिसमें कस्बा दौसा स्थित भूमि खसरा नंबर 1424/1 रकबा 5 ऐयर, 1425/3 रकबा 2 ऐयर 1425/4 रकबा 5 ऐयर भी अंकित की गई। इस संबंध में दिनांक 04.01.2013 को अपीलांट्स की भूमि के अधिकारों और हित पर्यवसान की सूचना दी जाकर 07 दिन के भीतर कारण बताने हेतु नोटिस जारी किया गया था किंतु उक्त जारी नोटिस की तामिल होना स्पष्ट नहीं होता क्योंकि नोटिस पर किसी भी व्यक्ति व तामिल कुनिंदा के हस्ताक्षर नहीं है। इसलिए अपीलांट की यह बात मानने योग्य है कि उनको नोटिस जारी नहीं किया गया कितुं उक्त खसरा नंबरान के संबंध में लोक सूचना पश्चात राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित करवाया गया है। इस प्रकार अपीलांट को जरिये समाचार पत्र तो सूचना होना स्पष्ट होता है। अपीलांट द्वारा निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति नहीं की गई। इस प्रकार खातेदार द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने के कारण नगर परिषद दौसा द्वारा निर्धारित तिथि समाप्त होने के पश्चात भूमि खसरा नंबर 1424/1 रकबा 5 ऐयर, 1425/3 रकबा 2 ऐयर 1425/4 रकबा 5ऐयर कुल रकबा 0.12 है0 का नगर परिषद, दौसा द्वारा दिनांक 22.01.2013 को प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 90 (क) की उपधारा (8) के अधीन पर्यवसित किये गये। नगर परिषद दौसा द्वारा की गई उक्त कार्यवाही के संदर्भ में तहसीलदार दौसा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार, दौसा द्वारा मौके की जॉच करवाई जाकर उनके पत्रांक 11133 दिनांक 31.12.2018 द्वारा रिपोर्ट भिजवाई गई जिसमें आराजी खसरा नंबर 1424/1, 1425/3, 1425/4 ग्राम दौसा कलॉ की वर्तमान समय की मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि पडत पडी हुई व जिस पर विभिन्न प्रकार के पेड खडे होना एवं खरपतवार झाडी वगैरह उगी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हुई होना बताया है। ऐसी स्थिति में नगर परिषद दौसा द्वारा की गई कार्यवाही मौके की बिना जॉच किया जाना स्पष्ट प्रतीत होत है। हॉलाकि नगर परिषद दौसा द्वारा अपने आदेश में तहसीलदार द्वारा कोई आपत्ति नहीं किया जाना अंकित किया गया है। किंतु किसी के अधिकारों का पर्यवसन करने से पूर्व भूमि की मौका जॉच करवाया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के संबंध में सीधा ही कोई कार्यवाही करना उचित नहीं समझते हुए प्रकरण की वस्तु–स्थिति की जॉच की जाकर नियमोचित कार्यवाही करने हेतु नगर परिषद, दौसा को प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। नगर परिषद, दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.01.2013 निरस्त किया जाता है। आयुक्त, नगर परिषद, दौसा को प्रकरण प्रति प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण के संबंध में पूर्ण परीक्षण एवं अपीलांट को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए इस न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित प्रेषित की जावें । बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांकः 29 जनवरी,2019 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official